न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/36/2025	2025/202	03.06.2025	16.03.2026

1. श्रीमती रामा पत्नी स्व. प्यारे लाल पुत्री स्व. मुखराम ब्राह्मण निवासी ग्राम अलावडा तहसील रामगढ, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. साहब खॉ पुत्र स्व. हिम्मत मेव,
2. नवाब पुत्र स्व. हिम्मत मेव,
3. हस्सा पुत्र स्व. इस्लाम खॉ पौत्र स्व. हिम्मत मेव,
4. काले खॉ पुत्र स्व. इस्लाम खॉ पौत्र स्व. हिम्मत मेव,
5. कमरू पुत्र स्व. इस्लाम खॉ पौत्र स्व. हिम्मत मेव,
6. सायरा पुत्री स्व. हिम्मत मेव,
7. जुहरी पुत्री स्व. हिम्मत मेव,
   समस्त निवासीयान ग्राम अलावडा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज0)।
8. तहसीलदार रामगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक 12.12.2017 जिसके द्वारा नामा0 सं0 809 दिनांक 27.12.2010 वाके ग्राम अलावड़ा तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री पुष्कर राज मुखीजा —वकील अपी0
02—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक 12.12.2017 जिसके द्वारा नामा0 सं0 809 दिनांक 27.12.2010 वाके ग्राम अलावड़ा बहाल रखा गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर की निवासी है जिसके पिता स्व० मुखराम ब्राह्मण निवासी ग्राम अलावडा को संवत 2003 में आराजी साबिक खसरा नंबर 1996 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 3156 रकबा 0.01 है0, 3157 रकबा 0. 80 है0 व 3158 रकबा 0.40 है० कस्टोडियन कुल रकबा 1.21 है0 ग्राम अलावडा हिम्मत मेव के सन् 1947 में भारत के बंटवारे के समय ग्राम अलावडा छोडकर पाकिस्तान जाने पर सरकार द्वारा आवंटित किया गया था । संवत 2003 से अपीलाण्ट का पिता उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा और उसकी मृत्यु के उपरान्त मिन अपीलाण्ट उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती रही और आज भी उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है जिसका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

जो भी मुसलमान भारत छोडकर पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान जाने से रह गए उन सबकी आराजी सरकार द्वारा अन्य व्यक्तियों को अलोट कर दी गई परन्तु किसी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मुसलमान के वापिस आने पर उन्हें उनके द्वारा छोडी गई जमीन को वापिस नही दिया गया जो लोग आंदोलन शांत होने पर 2–3 साल बाद अपने गांव वापिस आए उनके द्वारा सरकार से जमीन मांगने पर उन लोगो को सरकार द्वारा अन्य जमीने दी परन्तु उनकी वह जमीने जो वे छोडकर चले गए थे जो अन्य व्यक्तियों को सरकार द्वारा अलोट की गई थी वह उनको सरकार द्वारा वापिस नहीं दिलाई। हिम्मत मेव द्वारा उक्त जमीन को वापिस प्राप्त करने के लिए कई मुकदमें किए गए परन्तु किसी भी मुकदमें में हिम्मत मेव को कोई अनुतोष नहीं मिला ना ही किसी मुकदमें में अपीलाण्ट की आराजी का कब्जा हिम्मत मेव को दिलाए जाने का आदेश दिया। जब हिम्मत मेव का कब्जा ही नही रहा तो उस आराजी का इन्तकाल हिम्मत अथवा उसके वारिसान के नाम दौराने मुकदमा दर्ज किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

उक्त विवादित आराजी से हिम्मत मेव अथवा उसके वारिसान का कोई ताल्लूक व सरोकार किसी किस्म का नही है उक्त विवादित आराजी की बाबत मिन अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पिता हिम्मत मेव से व हिम्मत मेव की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान से कई मुकदमें चले जो अब भी राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। विवादित आराजी पर मिन अपीलाण्ट काबिज है जिस आराजी पर रेस्पोडेण्ट जबरन कब्जा करना चाहते है। रेस्पोडेण्टस गलत आदेश की आड में मिन अपीलाण्ट के नाम के स्थान पर अपने नाम का गलत इन्द्राज कागजात माल में करवाना चाहते है जिस कारण मिन अपीलाण्ट द्वारा एक मुकदमा उपजिलाधीश महोदय, रामगढ की अदालत में सोमोती बनाम हिम्मत वगैरा के नाम से पेश किया था जिसमें न्यायालय ने रेस्पोडेण्टस को ताफैसला मुकदमा पाबन्द किया हुआ है जिस मुकदमें में एक झूठा प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्टस द्वारा अन्तर्गत धारा 11 जा० दी० का प्रस्तुत किया कि जो प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2005 को निरस्त फरमा दिया गया जिस आदेश के खिलाफ रेस्पोडेण्टस द्वारा रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत कर दी जिस कारण उपजिलाधीश महोदय, रामगढ की पत्रावली रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर द्वारा अजमेर में मंगवा ली गई जो पत्रावली अजमेर में विचाराधीन है। रेस्पोडेण्टस बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जो न्यायालय के आदेश की परवाह नही करते है और हमेशा न्यायालयों को गुमराह करके किसी ना किसी तरह से रेवेन्यू रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कौशिश करते रहते है।

रेस्पोडेण्ट के पिता हिम्मत पुत्र मंगली मेव ने अपने जीवनकाल में गलत इन्द्राज के आधार पर इन्तकाल संख्या 884 ग्राम अलावडा अपने नाम से दर्ज कराने की कौशिश की जैसे ही मिन अपीलाण्ट को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो अपीलाण्ट द्वारा कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल सं० 884 पर रोक लगवा दी और उस इन्तकाल सं० 884 पर दिनांक 14.02.1986 को यह नोट लगवा दिया कि "इस नामान्तकरण की बाबत स्टे है, निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर में इसकी अमल ताफैसला स्टे घटना रिकार्ड में दर्ज किया जावे"।

इन्तकाल सं0 884 पर स्टे होने के बावजूद और अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के दरम्यान रेगूलर मुकदमा चलने के बावजूद रेस्पोडेण्टस ने बदयांतिपूर्वक दिनांक 27.12.2010 को तहसीलदार रामगढ व पटवारी हलका इत्यादि को गुमराह कर "प्रशासन गांव के संग अभियान 2010" में हिम्मत की विरासत के इन्तकाल के बहाने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3186 रकबा 0.01 है0, 3157 रकबा 0.80 व 3158 रकबा 0.40 कस्टोडियन कुल रकबा 1.21 है० ग्राम अलावडा का इन्द्राज अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा लिया जबकि इन्तकाल संख्या 884 जो मिन अपीलांटा के नाम के बाद हिम्मत मेव के नाम दर्ज कराने की कौशिश की थी जिस पर स्टे का नोट अंकित होते हुए गलत तरीके से इन्तकाल संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 को दर्ज कर दिया जिस इन्तकाल को निरस्त कराने के लिए अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान में एक अपील दिनांक 17.10.2011 को प्रस्तुत की जिस अपील को न्यायालय श्रीमान द्वारा 15.02.2012 को मंजूर फरमा कर तहसीलदार रामगढ

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

द्वारा स्वीकृत किया गया इन्तकाल संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 निरस्त फरमा दिया तथा तहसीलदार रामगढ को पत्रावली रिमाण्ड कर पुनः निर्णय करने का आदेश पारित किया परन्तु न्यायालय तहत द्वारा खिलाफ कानून दिनांक 12.12.2017 को इन्तकाल संख्या 809 बहाल रखते हुए गलत निर्णय पारित किया जिस आदेश के खिलाफ न्यायालय श्रीमान में यह अपील अपीलाण्ट द्वारा पुनः प्रस्तुत की जा रही है।

जब पक्षकारान के दौरान रेगूलर सूट न्यायालय में विचाराधीन है तो नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए परन्तु न्यायालय तहत ने माननीय राजस्व मण्डल की नजीरो पर गौर नही किया ओर मनमाने तरीके से गलत आदेश पारित कर दिया। जब रेगूलर मुकदमें में न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तब इन्तकाल की कार्यवाही को करना सरासर कानून के खिलाफ है जिस कारण न्यायालय तहत का आदेश दिनांक 12.12.2017 व इन्तकाल संख्या 809 निरस्त किए जाने योग्य है जब रेस्पोडेण्ट के पिता हिम्मत मेव के नाम ही इन्तकाल दर्ज नही हुआ है और उस इन्तकाल को दर्ज करने पर स्टे लगा हुआ है तो हिम्मत के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज किए जाने का कोई औचित्य नही है जिस कारण न्यायालय तहत का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय तहत का आदेश दिनांक 12.12.2017 व इन्तकाल संख्या 809 निरस्त फरमाया जावे व दीगर दादरसी व खर्चा मुकदमा जो न्यायोचित हो, अपीलाण्ट को दिलाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि राजस्व मण्डल से इन्तकाल के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं था। पहले इन्तकाल सं० 884 पर स्टे था, अपील का निस्तारण रेस्पो० के पक्ष में होने के कारण इन्तकाल सं० 884 तस्दीक हो गया। इंतकाल संख्या 884 न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.1985 की अनुपालना में तहसीलदार के आदेश क्रमांक 3030 दिनांक 31.12.85 की पालना में दर्ज व स्वीकार किया गया, जिससे रेस्पो० के पिता हिम्मत आराजी का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हो गया जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार खातेदार घोषित हुआ है, उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत का इन्तकाल दर्ज किया है। अपीलाधीन इन्तकाल 809 रेस्पो० के पिता की मृत्यु के पश्चात हिम्मत मेव के वारिसान के पक्ष में नियमानुसार सही तस्दीक हुआ है। हिम्मत मेव की विरासत से अपीलान्ट का कोई वास्ता नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील मियाद बाहर पैश की गई है जिसके संबंध में विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया गया है। अतः अपील सारहीन व मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया गया। यह अपील, अपीलाण्ट श्रीमती रामा द्वारा न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ के आदेश दिनांक 12.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा ग्राम अलावड़ा स्थित विवादित आराजी के संबंध में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 को बहाल रखा गया है। अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि विवादित आराजी पर उनका लम्बे समय से कब्जा है और इन्तकाल सं0 884 पर स्टे होने के बावजूद रेस्पोडेण्टस ने बदयांतिपूर्वक दिनांक 27.12.2010 को "प्रशासन गांव के संग अभियान 2010" में हिम्मत की विरासत के इन्तकाल के बहाने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3186 रकबा 0.01 है0, 3157 रकबा 0.80 है0 व 3158 रकबा 0.40 है0 कस्टोडियन कुल रकबा 1.21 है० ग्राम अलावडा का इन्द्राज अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा लिया जबकि इन्तकाल संख्या 884 पर स्टे का नोट अंकित होते हुए इन्तकाल संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 को दर्ज कर दिया। चूंकि, अपीलाण्ट का यह कथन कि तत्समय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर का स्थगन आदेश होने पर नामान्तकरण संख्या 809 दिनांक 27.12.2010

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

को दर्ज किया गया। बल्कि राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की अपील/डिक्री संख्या 239/85 उनवान मु0 मिश्री बनाम हिम्मत निर्णय दिनांक 20.09.1994 एवं इसी प्रकार अन्य प्रकरण निगरानी/टीए/85/95/अलवर बउनवान सोगोती बनाम साहब खां वगै0 में निर्णय दिनांक 30.11.1998 के द्वारा निगरानी सारहीन होने पर खारिज कर दी गई एवं अपीलाण्ट द्वारा अन्य कोई स्थगन आदेश से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत नामान्तकरण संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 दर्ज व स्वीकार किया गया है। इंतकाल संख्या 884 न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.1985 की अनुपालना में तहसीलदार के आदेश क्रमांक 3030 दिनांक 31.12.85 की पालना में दिनांक 04.01.1986 को दर्ज व स्वीकार किया गया था। राजस्व न्यायालयों का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही मूल रूप से राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन रखने की एक प्रक्रिया है। जब एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.1985 को रेस्पोडेण्ट के पिता हिम्मत मेव को खातेदार घोषित कर दिया गया था, तो उस आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा दर्ज इन्तकाल को मात्र इस आधार पर शून्य नहीं माना जा सकता कि अपीलाण्ट का उस पर कब्जा है। अपीलाण्ट के कब्जे संबंधी अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नियमित वाद के अंतिम निर्णय के अधीन ही होगा। अपीलाधीन आदेश विरासत इन्तकाल सं. 809 से संबंधित है, जो कि प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 के दौरान रेस्पोडेण्ट्स के पिता स्व. हिम्मत मेव की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसान के पक्ष में दर्ज किया गया है।

विरासत एक प्राकृतिक एवं विधिक प्रक्रिया है। यदि राजस्व रिकॉर्ड में हिम्मत मेव का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसका नाम रिकॉर्ड से हटाकर उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना राजस्व अधिकारियों का विधिक दायित्व है। अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट के पिता हिम्मत मेव की विरासत से कोई विधिक संबंध साबित नहीं होता है। अतः विरासत के इन्तकाल को रोकना न तो न्यायोचित है और न ही विधिक रूप से सही।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना, तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 में कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता या क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं है। इन्तकाल संख्या 809 मात्र एक विरासत का नामान्तरकरण है, जिसे दर्ज किया जाना पूर्णतः विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ का आदेश दिनांक 12.12.2017 एवं तद्नुसार इन्तकाल संख्या 809 दिनांक 27.12.2010 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)